फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

पताराम व अन्य	बनाम	करनाराम व अन्य
जीसीएमएस संख्या 2024/292	किस्म मुकदमा	53,188 RT Act

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 26.9.24 को पेश हो।	Notice 12/10/ 18.7.24 22/8/24
26/9/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादीगण उप. वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की प्रतिवादीगण अनुपस्थित प्रतिवादीगण को आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण से पत्रावली पर बहस सुनी गई आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 25/11/2024 को पेश हो।	Adv. [illegible]
25/11/24	पत्रावली आ[illegible] पेश हुई। वकील [illegible]नी/दक्ष [illegible] प्रस्तु[illegible]/मैं [illegible] ने/पुनः तहरीर जारी हो आइन्दा पत्रावली वास्ते इंतजार [illegible] दिनांक 8.1.25 पेश है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम–गुड़ामालानी

पताराम	बनाम	करनाराम	
जीसीएमएस संख्या	2024/292	किस्म मुकदमा	110/24

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
8/1/25	पत्रावली आ[illegible] पेश हुई। वकील [illegible]दी/पक्षकारान [illegible]स्थित। विभाजन [illegible]व/मौ[illegible]पोर्ट [illegible]प्त। इंतजार [illegible]/पुनः [illegible]र जारी हो। आईन्दा [illegible]त्रावली वास्ते इंत[illegible] मौका रिपोर्ट। दिनांक...18/2/25......[illegible] पेश है।	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 19/3/25 को पेश हो	
19/3/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा [illegible] को पेश हो	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 13/05/25 को पेश हो	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 11/06/25 को पेश हो	
05/06/25	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज पेशी पर लेने का निवेदन किया। पत्रावली [illegible] वकील वादी ने [illegible] किया कि उक्त प्रकरण में [illegible] एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति लोक भावना से सभी समाज के मौजिज लोगों व रिश्तेदारों के साथ आपसी राजीनामा	टीलादान [illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

पताराम	बनाम	कसनाराम	
जीसीएमएस संख्या	2024/272	किस्म मुकदमा	

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	हो गया है राजीनामा होने से उक्त वाद को डिक्री करना चाहते है। अत: उक्त प्रकरण मे आपसी राजीनामा होने से प्रकरण डिक्री खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर

गुडामालानी–बाडमेर

उनवानः **पताराम बनाम करनाराम**

प्रा0पत्रसं0 179 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18.07.2024	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या 42 / 5.6008 है0 439 / 0.0971 है0 440 / 15.483 है0 440 / 2 / 1.9425 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 23.1236** वाके ग्राम अणखिया तहसील नौखडा जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रार्थी ने पुराने रजिस्टर्ड बयनामा का जमाबन्दी में इन्द्राज नही होने के कारण घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। अब **अप्रार्थीगण** प्रार्थी को पुराने रजिस्टर्ड बयनामा का जमाबन्दी में इन्द्राज नही होने के कारण **पुनः उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि को पुनः बैचान करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के घोषणा के दावें कें निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की अंतरिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को मात्र दौहराया हुऐ प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:– *(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।* *(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।* *(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।* प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा प्रस्तुत किया जिससे प्रार्थी का हक प्रथमदृष्टया प्रमाणित है एवं सैद्धान्तिक रूप से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की होने के कारण प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। साथ ही मुताबिक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थीगण प्रार्थी को पुराने रजिस्टर्ड बयनामा का जमाबन्दी में इन्द्राज नही होने के कारण **पुनः उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान** करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक संयुक्त आराजी हाल **खसरा संख्या 42 / 5.6008 है0 439 / 0.0971 है0 440 / 15.483 है0 440 / 2 / 1.9425 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 23.1236** वाके ग्राम [illegible] बाडमेर पर *जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कि[illegible] कि अप्रार्थीगण मुतनाजा आराजी पर जवा[illegible] कब्जा* ***व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।*** अप्रार्थीगण जरिये [illegible] कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावें एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतरात हो [illegible] दिनांक 22.08.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। सहायक कलक्टर गुडामालानी **सहायक कलक्टर** **(S.D.O.) गुडामालानी**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

पत्ताराम बनाम करनाराम

जीसीएमएस संख्या 2024/293 किस्म मुकदमा 179/24

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यो में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 26/9/24 को पेश हो।	1216 / 10.7.24 तलब - 22.8.24
26/09/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के सम्मन डाक द्वारा भेजकर रसीद मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थीगण अनुपस्थित/अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/11/2024 को पेश हो। [signature]	[signature] Adv. L.S. Choudhary
25/11/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी/पक्षकारान उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट अप्राप्त। इंतजार/पुनः तहरीर जारी हो। आईन्दा पत्रावली वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट दिनांक 8/1/25 को पेश है।	
8/1/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी/पक्षकारान उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट अप्राप्त। इंतजार/पुनः तहरीर जारी हो। आईन्दा पत्रावली वास्ते इंतजार मौका रिपोर्ट दिनांक 18/2/25 को पेश है।	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यो में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा 17/3/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम–गुड़ामालानी

पताराम	बनाम	करनाराम
जीसीएमएस संख्या 2024/293		किस्म मुकदमा 212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
19/3/25	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 23/4/25 को पेश हो ।	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 13/5/25 को पेश हो ।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 11/06/25 को पेश हो	
05/06/25	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज पेशी पर लेने का निवेदन किया। पत्रावली पेशी पर ली जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी सहमति लोक भावना से राजीनामा हो जाने से मूल वाद को विड्रो करना चाहते है। मूल वाद के विड्रो खारिज हो जाने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18/07/2024 को खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर मूलवाद के शामिल हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:48:48 IST
Reason: SelfAttested